तारीख दायरा 01.09.2019

उनवान

... वहवा पुत्री प्रेम कुमारी चौपड़ा जाति बंजारी निवासी 166 जावरा कम्पाउण्ड इन्दौर म0प्र0

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम कुमारी चौपड़ा पत्नि कश्मीरी लाल चौपड़ा जाति बंजारी निवासी जवाहर कॉलोनी, झालावाड़ तह0 झालरापाटन
2. राजेन्द्र कुमार चौपड़ा पुत्र कश्मीरी लाल चौपड़ा जाति बंजारी निवासी जवाहर कॉलोनी, झालावाड़ तह0 झालरापाटन
3. वीरेन्द्र कुमार चौपड़ा पुत्र कश्मीरी लाल चौपड़ा जाति बंजारी निवासी जवाहर कॉलोनी, झालावाड़ तह0 झालरापाटन
4. जयकुमार चौपड़ा पुत्र कश्मीरी लाल चौपड़ा जाति बंजारी निवासी 9 शर्मा एक्सलेव गिरधर नगर, इन्दौर (म0प्र0)
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तह0 झा0पाटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार ठाठोदिया (प्रार्थी)
विद्वान अभिभाषक श्री संजय सक्सेना (अप्रार्थीगण)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 26.09.2019

संक्षेप में प्रार्थना –पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झा0पाटन तह0 झा0पाटन मे स्वअर्जित आय से प्रार्थीया की माता प्रेम कुमारी के नाम से जरिये रजिस्टर्ड पत्र सन 1971 में खाता सं0 नया 01 पुराना 02 भूमि धारक प्रार्थीया की माता प्रेम कुमारी पुत्री सौंई दास सब्बर बतौर खातेदार कुल किता 10 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा दर्ज है। जमाबंदी संवत 2073 से 2076 संलग्न किये है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया प्रेम कुमारी की पुत्री होने के नाते अप्रार्थी गण 1 लगायत 4 के साथ सम्भाग 1/5 हिस्सा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी खसरा नम्बरान में से बंटवारा कराने व काश्तकार के रूप में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मे अपना 1/5 हिस्सा दर्ज कराने की वैधानिक अधिकारी है। प्रार्थीया अपनी शादी इन्दौर में होने से इन्दौर निवास करती है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 प्रश्नगत आराजी को सौंठ–गॉंठ कर तथा राजनीतिक दबाव डालकर आराजी में से उसका 1/5 हिस्से से वंचित करना चाहते है तथा आराजी को खुर्द बुर्द कर बेचान करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को जरिये अस्थायी निषेध आज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर जवाब प्रार्थना पत्र चाहा गया। अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री संजय सक्सेना ने दिनाक 14.11.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीया को दिलवायी गयी तथा पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में रखी गयी।

प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी ने जिरहे में बताया है कि प्रार्थीया प्रश्नगत आराजी रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा में 1/5 हिस्से को कानूनन अधिकारी है क्योंकि प्रार्थीया की माँ प्रेम कुमारी चौपड़ा ने 1971 में उक्त आराजी को सन 1971 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जिसमें

...प्रबन्ध अधिकारी
...वाड़ (राज0)

P.T.O. →

प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा है जिसको अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अपने हिस्से की 1/5 आराजी से अलग कर खुर्द बुर्द करना चाहते है इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने जिरहे मे बताया कि अप्रार्थी सं0 01 प्रेम कुमारी ने उक्त प्रश्नगत आराजी को स्वयं के रूपयों से दिनाक 28.05.1974 को अपने पति श्री कश्मीरीलाल आत्मज श्री हंसराज जाति चौपड़ा निवासी झालावाड़ से रू0 11,000/– खसरा नं0 1960 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 1961 रकबा 10 बिस्वा, खसरा न0 1962 रकबा 6 बिस्वा, खसरा न0 1963 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न0 1964 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न0 1939/450 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न0 1934 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा न0 1938 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 8 किता रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। इसी प्रकार प्रेम कुमारी जो प्रार्थीया की माँ है ने स्वयं के रूपये से दिनांक 30.04.1983 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रेता बाली बाई बेवा चौथमल एवं घासीराम आत्मज चौथमल जाति काछी निवासी झा0पाटन से खसरा न0 1935 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं0 1937 रकबा 13 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 4 बीघा वाके ग्राम झा0पाटन से 8,000 रू0 मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। चूंकि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण सं0 01 की स्वयं की स्वअर्जित आराजी हैं तथा अप्रार्थीया न0 01 को स्वयं की आराजी को किसी भी रूप में किसी भी तरह से उपयोग मे लेने का कानूनन एवं वैधानिक अधिकार सुरक्षित है जिसमें प्रार्थीया को किसी भी तरह का अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने वाला प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभय पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात् यह तय है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है। क्योंकि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीया न0 01 द्वारा स्वय के रूपयों से प्रश्नगत आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है जो स्वअर्जित आराजी की श्रेणी मे आती है। अप्रार्थीया द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजी को उपयोग एवं उपभोग करने का वैधानिक एवं कानूनन अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

26/9/19

उपखण्ड अधिकारी
(मनीषा तिवारी)
झालावाड़ (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2019.11.15 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: